न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 11/2023

जीसीएमएस संख्या 2024/3
जीसीएमएस संख्या 2025/222

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

प्रार्थीगण

1. भगवानाराम पुत्र सुरजन
2. भेराराम पुत्र सुरजन
3. रतनाराम पुत्र कानाराम
4. लाछी पत्नी सुरजन
5. हरचन्द पुत्र कानाराम जातियान विश्नोई निवासीगण आम्बा का गोलिया तहसील चितलवाना

अप्रार्थीगण

1. अचला पुत्र फुआ
2. पुनमाराम पुत्र पीराराम
3. बीरबलराम पुत्र पीराराम
4. हेमाराम (फौत) पुत्र पीराराम के का. मू. वारीसान :—
   1. पुखराज पुत्र हेमाराम
   2. पारसाराम पुत्र हेमाराम
   3. रामनिवास पुत्र हेमाराम
   4. मुकेष कुमार पुत्र हेमाराम
   5. चुनीदेवी पत्नी हेमाराम
5. करनाराम पुत्र जालाराम
6. खंगाराराम पुत्र चौखा
7. जगमाल पुत्र जालाराम
8. जामता पुत्र मोती
9. पुनमाराम पुत्र जालाराम
10. पुनी पत्नी ठाकराराम
11. पाबुराम पुत्र जालाराम
12. भाखराराम पुत्र जालाराम
13. भीयाराम पुत्र मोतीराम
14. मोहन पुत्र ठाकरा
15. राजुराम पुत्र जालाराम
16. लाडुराम पुत्र ठाकराराम जातियान विश्नोई निवासीगण आम्बा का गोलिया तहसील चितलवाना
17. जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक सांचौर
18. आरएमजीबी शाखा झाब
19. सरकार जरिये तहसीलदार चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जेताराम विश्नोई।
2. अप्रार्थीगण संख्या 3, 4(1,2), 5 से 10 व 12 से 16 की ओर से अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा द्वारा No Instruction Plead.
3. अप्रार्थी संख्या 5,6,7,8,10,13,15,16 की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण।
4. अप्रार्थी संख्या 1,2,4(3,4,5),11,17,18 एकपक्षीय।

–:संशोधित निर्णयः–

दिनांकः– 24.02.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसके सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि मौजा आम्बा का गोलिया पटवार हल्का झाब के खेत खसरा नम्बर 192 रकबा 1.98 हैक्टयर आई हुई हैं। प्रार्थीगण के खेत व रहवासी ढाणी में आने–जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता हैं। प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के खसरा नम्बर 196 रकबा 1.16 हेक्टवर में से 8 मीटर चौड़ा व 77 मीटर लम्बा एवं अप्रार्थी संख्या 5 से 16 के खसरा नम्बर 211 रकबा 2.85 हेक्टयर में से 8 मीटर चौड़ा व 24 मीटर लम्बे रास्ते की निकटतम रुट से आवश्यकता हैं। उक्त रास्ते आने–जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त खेत में काश्त करने में आने–जाने का निकटतम रुठ का सुविधाजनक का रास्ता नहीं हैं। जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी सख्या 1 से 4 के खसरा नम्बर 196 रकबा 1.16 हैक्टेयर में से 8 मीटर चौड़ा व 77 मीटर लम्बा एवं अप्रार्थी सख्या 5 से 16 के खसरा नम्बर 211 रकबा 2.85 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से 8 मीटर चौड़ा व 24 मीटर लम्बे रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसे संलग्न नवले में नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। प्रार्थीगण के उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने, काश्त के साधन व उपकरण लाने ले जाने इत्यादि कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं। जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण नियमानुसार प्रतिकर शुल्क अदा करने को तैयार हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार चितलवाना के नाम जारी फरमावें।
2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4(3 से 5), 11, 17, 18 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 9, 12, 15 की

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

ओर अधिवक्ता द्वारा जवाब दिया गया। व अप्रार्थी संख्या 3, 4(1), 7, 8, 10, 13, 14, 16 की ओर से पर्याप्त समय उपरांत जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। तथा दिनांक 15.07.2025 को अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा No Instruction Plead किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे जाने पर अप्रार्थी संख्या 5,6,7,8,10,13,15,16 की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 2, 5, 6, 9, 12, 15 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब दिया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा आम्बा का गोलिया मे खेत खसरा नम्बर 192, 196 तथा 211 स्थित जरुर है परन्तु उक्त खेत खसरा नम्बर 192 मे आवागमन हेतु खेत खसरा नम्बर 196 व 211 में किसी प्रकार का कोई रास्ता न तो मौके पर मौजुद है तथा न ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज है एवं न ही इन खेतो से प्रार्थीगण के खेत हेतु निकटतम रुट मे लगता है। प्रार्थीगण द्वारा नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए गए स्थान पर कोई रास्ता न तो कभी चलता था एव न ही कोई रास्ता वर्तमान में मौके पर मौजूद है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खेत में से रास्ते की कोई आवश्यकता नही है। क्योकि मौके पर प्रार्थीगण के खेत मे आवागमन करने का रास्ता आम्बा का गोलिया से अणखोल जाने वाली पक्की सड़क से लगते हुए गॉव आम्बा का गोलिया के खेत खसरा नम्बर 67, 219, 220 में से होकर गुजरता है। उक्त खसरान मे स्थित रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण कई वर्षो से अभी तक करते आ रहे है। अदालत द्वारा तलब मौका रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थीगण के खेत मे आवागमन करने का रास्ता गॉव आम्बा का गोलिया के खेत खसरा नम्बर 67, 219, 220 में स्थित है जो मौके पर चालु है तथा प्रार्थीगण उक्त रास्ते से आवागमन करते है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खेत मे से रास्ता की मांग करते हुए पेश किया गया प्रार्थना पत्र गलत है, क्योकि प्रार्थीगण द्वारा जहाँ से रास्ता चाहा गया है वहा किसी प्रकार का कोई रास्ता मौजुद ही नही है तथा अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 211 मे जँहा से रास्ता चाहा है वहा मौके पर हमारी रहवासीय ढाणी एवं खसरा नम्बर 196 मे मौके पर ट्युबवेल स्थित है तथा दुसरी तरफ नहर बनी हुए है जो हमारे खेत से काफी काफी उचाई मे स्थित है। नहर से होकर हमारे खेत मे आवागमन करना किसी भी तरीके से सम्भव नही है, क्योकि प्राकृतिक रुप से नहर से हमारा खेत ईतनी गहराई अर्थात खाई मे स्थित है, जिससे कि नहर से सीधे खेत मे आवागमन हो ही नहीं सकता है। वैसे भी प्रार्थीगण के आवागमन का रास्ता अणखोल ग्रेवल सडक से लगते प्रार्थीगण के खेत तक स्थित है तथा उक्त रास्ता मौके पर चालु है जिसकी ताईद मौका रिपोर्ट दिनांक 07.06.2024 से बखुबी होती है तथा मौके पर आवागमन होना तथा रास्ता मौके पर मौजद होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खेत मे से प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता की मांग पूर्णतया आवश्यकता विहिन तथा प्रार्थीगण खेत खसरा नम्बर 192 के सुविधापूर्ण उपयोग के लिए होने से धारा 251 (ए) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के विधिक दायरे से बाहर होने के परिणाम स्वरुप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है। धारा 251 (ए) आर टी एक्ट 1955 के बाद सन् 2010 को संशोधित अधिनिमय संख्या 10 की उपबन्धित विधिनुसार आवेदित जोत के सुविधापूर्ण उपभोग की अवस्था मे रास्ता का आवेदित अनुतोष की मांग संशोधित सन् 2010 की विधि अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता, मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने के बावजुद एक नवीन रास्ता की मांग की है, जो प्रार्थीगण के लिए अत्यधिक आवश्यकता की बजाय

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

अपनी सुविधापूर्ण उपयोग व उपभोग के निकटतम रुट, विधिनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी हेतु सुविधाजनक मार्ग का साबित होने से ऐसी अवस्था में विधिक दृष्टिकोण से रास्ता की भू–अवाप्ति की मांग स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण परिणाम स्वरुप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक तथ्यात्मक दृष्टीकोण से खारीज योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधारहीन, सारहीन, अविधिक, औचित्यविहीन होने से मय खर्चा खारीज फरमावे।

4. भू अभिलेख निरीक्षक झाब द्वारा प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पेश कि गई जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सलंग्न रिपोर्ट में दर्शाये नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 211 में से लाल स्याही से दर्शित A,B व खसरा नम्बर 196 में से B,C रास्ता चाहा गया है। खसरा नम्बर 211 रकबा 2.85 हैक्टेयर में से अणखोल टेल माईनर निकलने से नवीन खसरा 656/211 रकबा 0.27, खसरा नम्बर 657/211 रकबा 2.12 हैक्टेयर तथा नहर खसरा नम्बर 655/211 रकबा 0.46 हैक्टेयर सृजित हुए है। खसरा नम्बर 656/211 में लाल स्याही से दर्शित A,B की लम्बाई 16 मीटर है, बिन्दु A पर नहर के समीप 15 गुणा 15 फुट की सीमेंट ईटों, सीमेन्ट चद्दर से ओरडी (कमरा) बना हुआ है जिसका नवीन निर्माण हुआ है, मौके पर पर A से B प्रस्तावित रास्ता बन्द है मौके पर रिजका बाजरी खड़ी है। खसरा नम्बर 196 से लाल स्याही से दर्शित B,C मौके पर खाली है, इसकी लम्बाई 76 मीटर है। इसमें किसी प्रकार का निर्माण नहीं है, मौके पर रास्ता नही है A,B,C की कुल लम्बाई अणखोल टेल माईनर से 92 मीटर है। माईनर के बायी तरफ रास्ता चल रहा है खसरा नम्बर 196 में ट्यूबवैल है। खसरा नम्बर 191, 192 प्रार्थीगण की खातेदार में है, नजरी नक्शे में दर्शित अणखोल ग्रेवल सड़क से खसर नम्बर 67, 219, 218 में लाल स्याही से डॉट–डॉट पर मौके पर रास्ता चल रहा है जो खसरा नम्बर 191 से लगता है इसकी लम्बाई 664 मीटर इनके अलावा कोई निकटतम रास्ता नहीं है, डॉटेड रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है।

5. प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी में किसी भी प्रकार का पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं होने का कथन करते हुए उक्त मौका जांच रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज करवा पुनः मौका जांच रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। जिस पर प्रार्थी की आपत्ति स्वीकार करते हुए पुनः मौका जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित मार्ग की भूमि पर प्रार्थना पत्र के लंबित रहने के दौरान ईंटों की ओरड़ी बनाई गई है एवं प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली एवं रास्ते हेतु उपयुक्त एवं निकटतम है मौका रिपोर्ट दिनांक 07.02.2025 के अनुसार प्रार्थी के खसरा संख्या 191, 192 में नजरी नक्शे में दर्षित अणखोल ग्रेवल सडक के खसरा संख्या 67, 219, 218 में लाल स्याही से डॉट–डॉट पर मौके पर किसी भी प्रकार का रास्ता नहीं है व मौके पर फसले खड़ी है न ही रास्ते के किसी भी प्रकार के अवशेष है।

6. पत्रावली में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा No Instruction Plead करने के बाद अप्रार्थी संख्या 5,6,7,8,10,13,15,16 की ओर से अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण द्वारा वकालतनामा पेश किया जाकर सीधी बहस की गई उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 192, 191 में आवागमन हेतु कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी सख्या 1 से 4 के खसरा नम्बर 196 रकबा 1.16 हैक्टयर में से 8 मीटर चौड़ा व 77 मीटर लम्बा एवं अप्रार्थी सख्या 5 से 16 के खसरा नम्बर 656/211

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

रकबा 0.27 हेक्टयर में से 8 मीटर चौड़ा व 24 मीटर लम्बे रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। जिसे संलग्न नवले में नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया हैं। प्रार्थीगण के उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण के खेत में आने–जाने, काश्त के साधन व उपकरण लाने ले जाने इत्यादि कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के संलग्न नक्शे के अनुसार A,B,C स्थान से के अलावा प्रार्थीगण के आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजूद नहीं है। अतः जांच रिपोर्ट अनुसार एबीसी स्थान से रास्ता न्यूनतम दूरी का होने से रास्ता दिये जानें का न्यायहित में आदेश फरमावें।

7. अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस में दिये गये तथ्यों का घोर विरोध करते हुए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन किया।

8. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, संलग्न दस्तावेजो व अप्रार्थीगण के जवाब का अवलोकन किया। तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता के बहस के तथ्यों पर मनन किया एवं पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया।

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान हैः– 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया हैः–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

9. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी मौजा आम्बा का गोलिया के खसरा नम्बर 191, 192 रकबा क्रमशः 1.98, 0.86 हैक्टेयर है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आवागमन हेतु राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण की आराजी में आवागमन हेतु तहसीलदार चितलवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 655/211 रकबा 0.46 हैक्टेयर आराजी में अणखोल टेल माईनर निकलती है। जिसके पड़ौस में प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 656/211 रकबा 0.27 हैक्टेयर आराजी अप्रार्थी संख्या 5 से 16 की खातेदारी आराजी में मौका रिपोर्ट में दर्शित बिन्दु A से B तक तथा खसरा संख्या 196 रकबा 1.16 हैक्टेयर में प्रस्तावित बिन्दु B से C अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की खातेदारी आराजी दर्ज है, जिसमें से प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने से रास्ता नजदीकतम व उपयुक्त रहेगा। इस प्रकार तहसीलदार चितलवाना की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खेत में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 656/211 व 196 में रास्ता दिया जाना सबसे नजदीकतम व उचित है। इनके अलावा कोई नजदीकतम रेकॉर्डेड रास्ता राजस्व रेकर्ड में नहीं है व न ही कोई वैकल्पित रास्ता मौजूद है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिये जाने पर प्रस्तावित रास्ते की खसरा संख्या 656/211 में लम्बाई 16 व खसरा संख्या 196 में लम्बाई 76 मीटर अर्थात कुल लम्बाई 92 व चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 368 वर्गमीटर अर्थात 0.0368 हैक्टेयर है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मौजा आम्बा का गोलिया पटवार हल्का झाब में प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 191, 192 रकबा क्रमश 1.98, 0.86 हैक्टेयर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 656/211 व 196 में सें रास्ता दिया जाता है। जिसमें रास्ते हेतु खसरा नम्बर 656/211 मे लम्बाई 16 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर व खसरा संख्या 196 में लम्बाई 76 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर रखते हुये खसरा नम्बर 656/211 व 196 में रास्ते में आने वाली आराजी की वर्तमान डीएलसी दर की दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक हिस्से अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 16 को अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार चितलवाना को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थीगण के हिस्से अनुसार जारी करवा कर पेश करने पर तहसीलदार चितलवाना द्वारा अपने मौका रिपोर्ट लाल स्याही से दर्शाये अनुसार खसरा संख्या 656/211 में लम्बाई 16 मीटर व खसरा संख्या 196 में लम्बाई 76 मीटर अर्थात कुल लम्बाई 92

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

व चौड़ाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 368 वर्गमीटर अर्थात 0.0368 हैक्टेयर में सरकारी गै.मु. रास्ता राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें। साथ ही खसरा संख्या 656/211 में अप्रार्थी संख्या 1 से 16 द्वारा प्रार्थना प्रस्तुति के पश्चात किसी भी प्रकार का कच्चा एवं पक्का निर्माण प्रस्तावित रास्ते के अवरोध हेतु किया गया हो, तो उक्त निर्माण को हटाने का खर्चा हर्जाना अप्रार्थीगण से वहन कर गै.मु. रास्ता तरमीम किया जावें। तथा उक्त रास्ते की नवशा लट्ठा मे तरमीम की जावे। उक्त रास्ते की भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार के आवागमन में बाधा पैदा न करें, एवं न ही अन्य किसी से करावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार चितलवाना को पालना हेतु भेजी जावे। पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर, जिला जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर